

राजस्थान-सरकार
निदेशालय कोष एवं लेखा, राजस्थान, जयपुर

क्रमांक:- एफ.4(ई)/द्वितीय एसीपी 94/अलेसे-III/1490-1550 दिनांक:- 15/4/2014

आदेश संख्या -04/2014-15

राज्य सरकार के आदेश क्रमांक प.11(7) वित्त(नियम)/2008/ दिनांक 12.9.2008 एवं आदेश संख्या एफ.11(7) वित्त (नियम) पार्ट-I/ 2008 दिनांक 6.10.2008 के अनुसरण में निम्नांकित कनिष्ठ लेखाकारों जिन्होंने कनिष्ठ लेखाकार के पद पर 18 वर्ष की निरन्तर सन्तोषजनक सेवा पूर्ण कर ली है, को उनके नाम के सम्मुख अंकित कॉलम संख्या 5 में उल्लेखित दिनांक से कनिष्ठ लेखाकार के पद की द्वितीय आशवासित कैरियर प्रगति (ए.सी.पी) पे-बेण्ड 2 (9300-34800) ग्रेड पे 4800/-में स्वीकृत की जाती है।

क्र.स.	नाम कनिष्ठ लेखाकार सर्व श्री	मेरिट / बैच संख्या	क.लेखाकार पद पर प्रथम कार्यग्रहण तिथि	द्वितीय एसीपी देय तिथि	विशेष विवरण
1	2	3	4	5	
01.	चन्दभान गुप्ता	32/94	19.02.1996	19.02.2014	
02.	राकेश कुमार जैन	41/94	19.02.1996	19.02.2014	
03.	कमलेश कुमार शिवरायन	73/94	19.02.1996	19.02.2014	
04.	कमल किशोर शर्मा	85/94	16.03.1996 मध्याह्न पश्चात्	17.03.2014	
05.	किशोरी लाल प्रजापत	117/94	11.03.1996	11.03.2014	
06.	दीनदयाल गोयल	119/94	19.02.1996	19.02.2014	
07.	ललित कुमार शर्मा	153/94	19.02.1996	19.02.2014	
08.	विनोद पाल सिंह राठौड़	172/94	28.02.1996	28.02.2014	
09.	संजय झाझड़िया	202/94	13.03.1996	13.03.2014	
10.	सत्य प्रकाश	241/94	22.02.1996	22.02.2014	
11.	राकेश कुमार शर्मा	276/94	22.03.1996	22.03.2014	
12.	छोटू राम कुम्हार	288/94	23.02.1996	23.02.2014	
13.	सुरेन्द्र कुमार सैनी	309/94	02.03.1996	02.03.2014	
14.	सुनील जैन	313/94	29.02.1996	01.03.2014	
15.	विमल कुमार शर्मा	340/94	27.02.1996	27.02.2014	
16.	सुरेश कुमार बोहरा	354/94	21.03.1996	21.03.2014	
17.	भीखाराम सौलकी	371/94	08.03.1996	08.03.2014	
18.	कैलाश चन्द	384/94	26.02.1996	26.02.2014	
19.	कुन्दन मल सुथार	395/94	02.03.1996	02.03.2014	
20.	राजेन्द्र कुमार सैनी	399/94	19.02.1996	19.02.2014	
21.	रामनारायण स्वामी	477/94	01.03.1996	01.03.2014	
22.	भगवान सहाय कुम्हार	490/94	13.03.1996	13.03.2014	
23.	कालूराम	495/94	16.03.1996	16.03.2014	
24.	बाला राम शर्मा	497/94	11.03.1996	11.03.2014	
25.	नन्द किशोर बैरवा	563/94	01.03.1996	01.03.2014	
26.	जगदीश राम नायक	584/94	16.03.1996	16.03.2014	

acp.doc

कमरा नम्बर 310, "ए" ब्लॉक, वित्त भवन, जनपथ, जयपुर 302015 (फैक्स नं. 0141-2742309)

उक्त कनिष्ठ लेखाकारों को वित्त विभाग के आदेश क्रमांक प014 (88) वित्त/ नियम/2008 दिनांक 31.12.2009 में दी गई शर्तों के संबंध में संतोषजनक सेवा सम्बन्धी प्रमाण पत्र तथा संतान संबंधी शपथ पत्र प्राप्ति के आधार पर आश्वासित कैरियर प्रगति(एसीपी) स्वीकृत की जाती है।

क्रम संख्या 06, 07, 09, 10, 12, 17, 18, 19 21 से 24 एवं 26 पर अंकित कनिष्ठ लेखाकारों के वार्षिक कार्य मूल्यांकन प्रतिवेदन नियमानुसार उपलब्ध नहीं होने पर गत 9 वर्षों में से 7 वार्षिक कार्य मूल्यांकन प्रतिवेदन की उपलब्धता के आधार पर द्वितीय आश्वासित कैरियर प्रगति इस शर्त पर स्वीकृत की जाती है कि भविष्य में प्राप्त उक्त अवधि के वार्षिक कार्य मूल्यांकन प्रतिवेदन में प्रतिकूल प्रविष्टि होने पर प्रकरण पुनः खोला जावेगा तथा वार्षिक कार्य मूल्यांकन प्रतिवेदन के आधार पर द्वितीय आश्वासित कैरियर प्रगति के बारे में निर्णय लिया जाकर तदनुसार संशोधित कर दिया जावेगा।

उपर्युक्त कनिष्ठ लेखाकारों का वेतन निर्धारण वित्त विभाग के उक्त आदेश दिनांक 12.9.2008 के पैरा 19 के अनुसार संबंधित कार्यालयाध्यक्ष द्वारा निर्धारित किया जावेगा। वेतन निर्धारण से पूर्व कार्यालयाध्यक्ष द्वारा यह सुनिश्चित किया जावे कि संबंधित कर्मचारी संशोधित वेतनमान 2008 में वेतन प्राप्त कर रहा है एवं एसीपी स्वीकृति तिथि को इनके विरुद्ध कोई विभागीय जाच लम्बित नहीं है। इस स्वीकृति व वेतन निर्धारण की प्रविष्टि आवश्यक रूप से संबंधित कनिष्ठ लेखाकार की सेवापुस्तिका में की जावे।

(वीरबाला जोशी)
निदेशक

क्रमांक:- एफ.4(ई)/द्वितीय एसीपी 94/अलेसे-III/1490-1550 दिनांक 15/4/2014
प्रतिलिपि निम्नांकित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित है:-

1. विभागाध्यक्ष/ कार्यालयाध्यक्ष.....
2. श्री.....कनिष्ठ लेखाकार कार्यालय.....
3. निजी सहायक, निदेशक महोदय
4. कार्यालय अधीक्षक (गोपनीय शाखा) को प्रेषित कर लेख है कि उक्त कनिष्ठ लेखाकारों के भविष्य में वार्षिक कार्य मूल्यांकन प्रतिवेदन प्राप्त होने पर कोई प्रतिकूल प्रविष्टि प्राप्त होती है, तो उनके प्रकरण को पुनः खोले जाने के प्रस्ताव इस शाखा को प्रेषित करें।
5. उपनिदेशक(एसीपी) को विभागीय वेबसाइट पर अपलोड करने हेतु।
6. निजी/गार्ड फाईल।

(डा० अखिल कुमार मिश्रा)
अतिरिक्त निदेशक(कार्मिक-II)